



The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021

Act 3 of 2021

Keywords:

Allurement, Coercion, Conversion, Force, Fraudulent, Religious Priest, Undue Influence

Amendment appended: 7 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021
फाल्गुन 14, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 384/79-वि-1-21-1-क-42-20
लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना
विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 4 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

दुर्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोमन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "प्रलोभन" का तात्पर्य

(एक) नकद या वस्तु के रूप में किसी उपहार, परितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ;

(दो) रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा; या

(तीन) बेहतर जीवन शैली, दैवी अप्रसाद या अन्यथा के रूप में प्रलोभित करने के प्रस्ताव से है और उसमें वे सम्मिलित हैं;

(ख) "प्रपीड़न" का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक दबाव या भौतिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने से है, जिसमें शारीरिक क्षति या धमकी सम्मिलित है;

(ग) "धर्म संपरिवर्तन" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वधर्म का त्याग करने और अन्य धर्म को ग्रहण करने से है;

(घ) "बल" में धर्म संपरिवर्तित या धर्म संपरिवर्तित होने हेतु इप्सित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षति की धमकी देना सम्मिलित है;

(ङ) "कपटपूर्ण साधन" में किसी प्रकार का प्रतिरूपण, मिथ्या नाम, उपनाम, धार्मिक प्रतीक या अन्यथा द्वारा प्रतिरूपण किया जाना सम्मिलित है;

(च) "सामूहिक धर्म संपरिवर्तन" का तात्पर्य जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति धर्म संपरिवर्तित किये जाय, से है;

(छ) "अवयस्क" का तात्पर्य अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति से है;

(ज) "धर्म" का तात्पर्य भारत में या उसके किसी भाग में प्रचलित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या परम्परा के अधीन यथा परिभाषित पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की किसी संगठित प्रणाली से है;

(झ) "धर्म परिवर्तक" का तात्पर्य किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से है, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य सम्पादित करता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, यथा पादरी, कर्मकाण्डी, मौलवी या मुल्ला इत्यादि;

(ञ) "असम्यक असर" का तात्पर्य ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंतःकरण के विरुद्ध प्रयोग करने या अन्य व्यक्ति पर असर डालने से है;

(ट) "विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन" का तात्पर्य ऐसे किसी धर्म संपरिवर्तन से है, जो देश की विधि के अनुसार न हो।

दुर्व्यपदेशन,
बल, कपट,
असम्यक असर,
प्रपीड़न,
प्रलोभन द्वारा
एक धर्म से
दूसरे धर्म में
संपरिवर्तन का
प्रतिषेध

3—(1) कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित नहीं करेगा/करेगी या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा/करेगी। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा/करेगी, विश्वास नहीं दिलायेगा/दिलायेगी या षडयन्त्र नहीं करेगा/करेगी।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा में संख्यांकित कारकों के आधार पर विवाह या विवाह की प्रकृति के सम्बन्ध का अनुष्ठानीकरण करके किया गया धर्म संपरिवर्तन सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में संपरिवर्तन करता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ठीक पूर्व धर्म का तात्पर्य ऐसे धर्म से है जिसमें उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास था अथवा जिसके लिए उक्त व्यक्ति स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अभ्यस्थ था।

4-कोई व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहिन या ऐसा कोई व्यक्ति, जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित हो, ऐसे धर्म संपरिवर्तन, जिससे धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन होता हो, के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है/सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति

5-(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जाएगी, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगा:

धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्ड

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा/की जाएगी जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(2) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा/जायेगी वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा/होगी जो इस अधिनियम के अधीन तदनिमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

6-विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से या विपर्ययेन एक धर्म के पुरुष द्वारा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह के पूर्व या पश्चात् या तो स्वयं का धर्म संपरिवर्तन करके या विवाह के पूर्व या पश्चात् महिला का धर्म संपरिवर्तन करके किया गया कोई विवाह, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा या जहाँ कुटुम्ब न्यायालय स्थापित न हो, वहाँ ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जायेगा :

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया विवाह या विपर्ययेन शून्य घोषित होगा

परन्तु यह कि धारा 8 एवं 9 के समस्त उपबन्ध ऐसे किये जाने वाले विवाहों पर लागू होंगे।

7-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

अपराध गैर जमानतीय और संज्ञेय होंगे

8-अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहने वाले/वाली व्यक्ति को कम से कम साठ दिवस पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुसूची-एक में विहित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि वह स्व-आधार पर और अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक असर या प्रलोभन के अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहता है/चाहती है।

धर्म संपरिवर्तन के पूर्व घोषणा और धर्म संपरिवर्तन के सम्बंध में पूर्व रिपोर्ट

(2) धर्म परिवर्तक, जो किसी व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तित करने के लिए अनुष्ठान सम्पादित करेगा, ऐसे संपरिवर्तन के सम्बंध में अनुसूची-दो में विहित प्रपत्र में नोटिस, जिला मजिस्ट्रेट या उस जिला, जहाँ ऐसा अनुष्ठान सम्पादित किया जाना प्रस्तावित हो, के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी को एक माह पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बंध में पुलिस के माध्यम से जांच सम्पादित करायेगा।

(4) उपधारा (1) और/या उपधारा (2) का उल्लंघन किये जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन किये जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जायेगा।

(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

पश्च धर्म
संपरिवर्तन की
घोषणा

9-(1) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को अनुसूची-तीन में विहित प्रपत्र में धर्म संपरिवर्तन के दिनांक से साठ दिवस के भीतर उस जिला, जिसमें धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति सामान्यतः निवास करता/करती हो, के जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा प्रेषित करनी होगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा की एक प्रति, पुष्टि किये जाने के दिनांक तक कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी।

(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित विवरण अर्थात् धर्म संपरिवर्तन की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी यथा धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की जन्मतिथि, स्थायी पता और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, धर्म, जिससे धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति मूलतः सम्बन्धित है और धर्म, जिसमें उसने धर्म संपरिवर्तन किया हो/की हो, धर्म संपरिवर्तन का दिनांक तथा स्थान और धर्म संपरिवर्तन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रकृति।

(4) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को घोषणा प्रेषित करने/दाखिल करने के दिनांक से 21 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा के तथ्य को, इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित करके पुष्टि करनी होगी। यदि कोई आपत्तियां संज्ञान में लायी जाती हैं तो वह उन्हें सामान्यतः अभिलिखित कर सकता है यथा नाम, आपत्तियों की विशिष्टियां और आपत्ति की प्रकृति।

(6) घोषणा की सत्यापित प्रति, पुष्टिकरण और रजिस्टर के उद्धरण ऐसे पक्षकार जिसने घोषणा दी हो, को या उसके अनुरोध पर उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) उपधारा (1) से (4) का उल्लंघन किये जाने पर उक्त धर्म संपरिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य हो जायेगा।

किसी संस्था या
संगठन द्वारा
अधिनियम के
उपबन्धों का
अतिक्रमण किये
जाने पर दण्ड

10-(1) यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो यथास्थिति, उस संस्था या संगठन के मामलों का प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तिगण धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित दण्ड के अध्याधीन होगा/होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, इस सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कृत निर्देश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाली संस्था या संगठन को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान उपबंधित नहीं करेगी।

अपराध के
पक्षकार

11-जब अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाय, तब अपराध के कारित करने में निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति सहभागी हुआ समझा जायेगा/सहभागी हुई समझी जायेगी और वह अपराध का दोषी होगा/होगी और उसे इस प्रकार आरोपित किया जायेगा, मानों वह वास्तव में उक्त अपराध कारित किया हो/की हो, अर्थात्:-

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो वास्तव में ऐसा कृत्य करता/करती है, जिससे अपराध संरचित होता है;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के प्रयोजन से कोई कृत्य करता/करती है या करने का लोप करता/करती है;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता करता/करती है या उसे दुरोधित करता/करती है;

(चार) कोई व्यक्ति, जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता/देती है, विश्वास दिलाता/दिलाती है या उपाप्त करता/करती है।

12-इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्म संपरिवर्तन, दुर्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के माध्यम से या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, उस व्यक्ति पर, जिसने धर्म संपरिवर्तन कराया है और जहाँ ऐसा धर्म संपरिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो वहाँ ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

सबूत का भार

13-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो कर सकती है, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

14-राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या
21 सन् 2020

15-(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत या की गयी गई समझी जायेगी।

अनुसूची-एक

घोषणा-पत्र [धारा 8 की उपधारा (1) देखें]
एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जिला
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं पुत्र/पुत्री निवासी

..... धर्म से धर्म में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान निष्पादित करने का/की इच्छुक हूँ, एतद्वारा, धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित आशयित धर्म संपरिवर्तन की सूचना देता/देती हूँ :-

- व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....
- नाम:
(क) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसके पिता
- (ख) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसकी माता
- धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का पता
- भवन संख्या वार्ड संख्या
- मोहल्ला गांव तहसील..... जिला.....
- आयु (जन्मतिथि)
- लिंग.....
- व्यवसाय और मासिक आय
- विवाहित या अविवाहित
- धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम.....
- यदि कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता.....
- क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति के विवरण

11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम जहां धर्मान्तरण अनुष्ठान किया जाना आशयित है भवन संख्या
 वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....जिला.....
12. धर्म संपरिवर्तन का दिनांक
13. धार्मिक पुजारी:.....
 (एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....
 (दो) पता

सत्यापन

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

अनुसूची-दो

नोटिस पत्र [धारा 8 की उपधारा (2) देखें]

एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में धार्मिक पुजारी द्वारा नोटिस

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला.....

उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....

.....एतद्वारा धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित धर्म.....से धर्म.....

.....में आशयित संपरिवर्तन के लिए नोटिस प्रस्तुत करता/करती हूँ, जो निम्नवत् हैं:-

1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....

2. नाम:

(क) धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति का पिता

(ख) धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति की माता

3. धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले/वाली व्यक्ति का पता.....

भवन संख्या वार्ड संख्या

मोहल्ला.....गांव.....तहसील.....जिला.....

4. आयु (जन्मतिथि)

5. लिंग.....

6. व्यवसाय और मासिक आय

7. विवाहित या अविवाहित

8. धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम

9. यदि अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हों, का नाम व पूरा पता

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और ऐसा है, तो ऐसी जाति के विवरण

11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम, जहाँ धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित हो भवन संख्या वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....जिला.....

12. धर्म संपरिवर्तन की तिथि.....

13. धार्मिक पुजारी:.....

(एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....

(दो) पता

सत्यापन

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

अनुसूची-तीन

घोषणा पत्र (धारा 9 देखें)

एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के संबंध में सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला.....

उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं, पुत्र/पुत्री..... निवासी.....

..... एतद्वारा धारा 9 द्वारा धर्म..... से धर्म..... में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान सम्पादित कर लिए जाने सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करता/करती हूँ, जो निम्नवत् है:-

1. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पूरा नाम:

(1) धर्म संपरिवर्तन के पूर्व.....

(2) धर्म संपरिवर्तन के पश्चात् (यदि नाम परिवर्तित किया गया हो).....

2. नाम:

(क) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पिता

(ख) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की माता

3. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पता

भवन संख्या वार्ड संख्या मोहल्ला गांव

..... तहसील..... जिला.....

4. आयु (जन्मतिथि)

5. लिंग.....

6. व्यवसाय और मासिक आय

7. विवाहित या अविवाहित

8. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम

9. यदि अवयस्क हो, संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, यदि ऐसा है, तो जाति के विवरण

11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम, जहाँ धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान सम्पन्न हुआ हो...

भवन संख्या वार्ड संख्या..... मोहल्ला..... ग्राम.....

..... जिला.....

12. धर्म संपरिवर्तन का दिनांक

13. धार्मिक पुजारी.....

(एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....

(दो) पता

14. धार्मिक पुजारी से भिन्न कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पते एवं अन्य विवरण (धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से सम्बन्ध, यदि कोई हो), जिनके द्वारा धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान में भाग लिया गया हो:

(1).....

(2).....

सत्यापन

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

साक्षी:(1).....

साक्षी:(2).....

दिनांक

स्थान

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जिसमें भारत की सामाजिक समरसता और उसकी भावना प्रतिबिंबित होती है। इस अधिकार का उद्देश्य, भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रतिधारित किये रखना है। संविधान के अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और समस्त धर्म राज्य के समक्ष समान होते हैं, और किसी धर्म का दूसरे धर्म पर अधिमान प्रदान नहीं किया जायेगा। समस्त व्यक्ति अपने पसंद के किसी धर्म का उपदेश देने, उसका संव्यवहार करने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की प्रव्यंजना करने, उसका संव्यवहार करने तथा प्रचार-प्रसार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तथापि अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता के वैयक्तिक अधिकार को धर्म परिवर्तन करने के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है; धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से धर्म संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म संपरिवर्तित होना चाहने वाले व्यक्ति से संबंधित होता है।

तथापि विगत दिनों में ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं जहाँ सीधे-सादे व्यक्तियों को दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा अथवा कपटपूर्ण माध्यमों से एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित विधि विद्यमान है किन्तु उत्तर प्रदेश में उक्त विषय में कोई परिनिियम नहीं था।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या कपटपूर्ण माध्यमों से एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु एक विधि अधिनियमित किये जाने का विनिश्चय किया गया था।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक, 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 384(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-42-20

Dated Lucknow, March 5, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhi Viruddha Dharm Samparivartan Pratishedh Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 4, 2021. The Grih (Police) Anubhag-9, is administratively concerned with the said adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF
RELIGION ACT, 2021

(U.P. Act no. 3 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurements or by any fraudulent means or by marriage and for the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent
and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021.

(2) It shall extend to whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on November 27, 2020.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Allurement" means and includes offer of any temptation in the form of-

(i) any gift, gratification, easy money or material benefit either in cash or kind;

(ii) employment, free education in reputed school run by any religious body; or

(iii) better lifestyle, divine displeasure or otherwise;

(b) "Coercion" means compelling an individual to act against his/her will by the use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(c) "Conversion" means renouncing one's own religion and adopting another religion

(d) "Force" includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to any other person or property impersonation;

(e) "Fraudulent means" includes impersonation of any kind, by false name, surname, religious symbol or otherwise;

(f) "Mass Conversion" means where two or more persons are converted;

(g) "Minor" means a person under eighteen years of age;

(h) "Religion" means any organized system of worship pattern, faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force;

(i) "Religion Convertor" means person of any religion who performs any act of conversion from one religion to another religion and by whatever name he is called such as Father, Karmkandi, Maulvi or Mulla etc.;

(j) "Undue influence" means the unconscientious use by one person of his/her power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence;

(k) "Unlawful Conversion" means any conversion not in accordance with law of the land.

3. (1) No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use or practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means. No person shall abet, convince or conspire such conversion.

Explanation:- For the purposes of this sub-section conversion by solemnization of marriage or relationship in the nature of marriage on account of factors enumerated in this sub-section shall be deemed included.

(2) If any person re-converts to his immediate previous religion, the same shall not be deemed to be a conversion under this Act.

Explanation:- For the purposes of this sub-section immediate previous religion means the religion in which the person had faith, belief or was practiced by the person voluntarily and freely.

4. Any aggrieved person, his/her parents, brother, sister, or any other person who is related to him/her by blood, marriage or adoption may lodge a First Information Report of such conversion which contravenes the provisions of section 3.

5. (1) Whoever contravenes the provisions of section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees fifteen thousand:

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees twenty five thousand:

Prohibition of conversion from one religion to another religion by misrepresentation, force, fraud, undue influence, coercion, allurement

Person competent to lodge First Information Report

Punishment for contravention of provisions of section 3

Provided further that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees fifty thousand.

(2) The Court shall also grant appropriate compensation payable by the accused to victim of said conversion which may extend maximum to rupees five lakh and shall be in addition to fine.

(3) Whoever having been previously convicted of an offence under this Act is again convicted of an offence punishable under this Act, shall be liable for every such subsequent offence to punishment not exceeding double the punishment provided therefor under this Act.

Marriage done for sole purpose of Unlawful Conversion or vice-versa to be declared void

6. Any marriage done for sole purpose of unlawful conversion or *vice-versa* by the man of one religion with the woman of another religion, either by converting himself/herself before or after marriage, or by converting the woman before or after marriage, shall be declared void by the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case on a petition presented by either party thereto against the other party of the marriage:

Provided that all the provisions of Section 8 and 9 shall apply for such marriages to be solemnized:

Offences to be non-bailable and cognizable

7. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all the offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and triable by the Court of Sessions.

Declaration before conversion of religion and pre-report about conversion

8. (1) One who desires to convert his/her religion, shall give a declaration in the form prescribed in Schedule-I at least sixty days in advance, to the District Magistrate or the Additional District Magistrate specially authorized by the District Magistrate, that he wishes to convert his/her religion on his/her own and with his/her free consent and without any force, coercion, undue influence or allurement.

(2) The religious convertor, who performs conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice in the form prescribed in Schedule-II of such conversion, to the District Magistrate or any other officer not below the rank of Additional District Magistrate appointed for that purpose by the District Magistrate of the district where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-sections (1) and (2), shall get an enquiry conducted through police with regard to real intention, purpose and cause of the proposed religious conversion.

(4) Contravention of sub-section (1) and/or sub-section (2) shall have the effect of rendering the proposed conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees ten thousand.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees twenty five thousand.

Declaration post conversion of religion

9. (1) The converted person shall send a declaration in the form prescribed in Schedule-III within sixty days of the date of conversion, to the District Magistrate of the District in which converted person resides ordinarily.

(2) The District Magistrate shall exhibit a copy of the declaration on the notice board of the office till the date of confirmation.

(3) The said declaration shall contain the requisite details, i.e., the particulars of the convert such as date of birth, permanent address, and the present place of residence, father's/husband's name, the religion to which the convert originally belonged and the religion to which he has converted, the date and place of conversion and nature of process gone through for conversion.

(4) The converted individual shall appear before the District Magistrate within 21 days from the date of sending/filing the declaration to establish her/his identity and confirm the contents of the declaration.

(5) The District Magistrate shall record the factum of declaration and confirmation in a register maintained for this purpose. If any objections are notified, he may simply record them, i.e., the name and particulars of objectors and the nature of objection.

(6) Certified copies of declaration, confirmation and the extracts from the register shall be furnished to the parties, who gave the declaration to his/her authorized legal representative on his/her request.

(7) The contravention of sub-sections 1 to 4 shall have the effect of rendering the said conversion illegal and void.

10. (1) If any institution or organization violates the provisions of this Act, the person or persons in charge of the affairs of the organisation or the institution, as the case may be, shall be subject to punishment as provided under section 5 and the registration of the organization or the institution under any law for the time being in force may be cancelled by competent authority upon reference made by the District Magistrate in this regard.

Punishment for violation of provisions of Act by an institution or organization

(2) The State Government shall not provide any financial aid or grant to such institution or organization violating the provisions of this Act.

11. When an offence is committed under this Act, each of the following shall be deemed to have taken part in committing the offence and shall be guilty of the offence, and shall be charged as if he has actually committed the said offence, that is to say,—

Parties to offence

- (i) every person who actually does the act which constitutes the offence;
- (ii) every person who does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence;
- (iii) every person who aids or abets another person in committing the offence;
- (iv) any person who counsels, convinces or procures any other person to commit the offence.

12. The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage, lies on the person who has caused the conversion and, where such conversion has been facilitated by any person, on such other person.

Burden of proof

13. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the *Official Gazette*, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before both the Houses of State Legislature.

14. The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Power to make rules

Repeal and saving

15. (1) The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 21 of 2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act.

SCHEDULE -I

Form of Declaration [see sub-section (1) of section 8]

Intimation regarding intended conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate
District.....
Uttar Pradesh.

Sir,

I,.....s/o/d/o.....r/o.....

intend to perform necessary ceremony for conversion from.....
religion to.....religion, do hereby, give intimation of intended conversion
as required by sub-section (1) of section 8:

1. Name of the person to be converted.....

2. Name of the :

(a) Father of the person to be converted.....

(b) Mother of the person to be converted.....

3. Address of the person to be converted.....

House No. Ward No.

Mohalla..... Village..... Tahsil.....

District.....

4. Age(DOB)

5. Sex.....

6. Occupation and monthly income

7. Whether married or unmarried.....

8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted
.....

9. If any minor, name and full address of the guardian, if
any.....

10. Whether belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such
caste.....

11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details-

House No..... Ward No..... Mohalla.....

Village..... District

12. Date for Conversion.....

13. Religious priest:

(i) Name, qualification and experience.....

(ii) Address

VERIFICATION

I,do hereby declare that the information stated above is true to the
best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature.....

Date.....

Place.....

SCHEDULE-II

Form of notice [see sub-section (2) of section 8]

Notice by the religious priest regarding intended conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate

District.....

Uttar Pradesh.

Sir,

I,.....s/o/ d/or/o.....do hereby, give notice as required by sub-section (2) of section 8 for intended conversion from.....religion toreligion and particulars of aforesaid intended conversion are as below:

1. Name of the person to be converted.....
2. Name of the:
 - (a) Father of the person to be converted.....
 - (b) Mother of the person to be converted.....
3. Address of the person to be converted

House No..... Ward No.....Mohalla.....

Village.....Tahsil.....District.....
4. Age.....(DOB)
5. Sex.....
6. Occupation and monthly income.....
7. Whether married or unmarried.....
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted.....
9. If a minor, name and full address of the guardian, if any.....
10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste.....
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details

House No.....Ward No.....Mohalla.....Village.....District.....
12. Date for conversion.....
13. Religious priest:
 - (i) Name, qualification and experience.....
 - (ii) Address

VERIFICATION

I,do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature

Date.....

Place.....

SCHEDULE-III

Form of Declaration (see section 9)

Intimation regarding conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate
District.....
Uttar Pradesh.

Sir,

I,.....s/o/ d/o.....r/ohaving performed the necessary ceremony for conversion from.....religion to.....religion , do hereby, give intimation of the conversion as required by section 9 as under:

1. Full Name of the person converted:

- (1) before conversion-----
(2) after conversion (if the name is changed).....

2. Name of the:

- (a) Father of the person converted.....
(b) Mother of the person converted.....

3. Address of the person converted

House No. Ward No. Mohalla.....
Village..... Tah..... District.....

4. Age.....(DOB)

5. Sex.....

6. Occupation and monthly income.....

7. Whether married or unmarried.....

8. Name of persons, if any, dependent upon the person converted

9. If a minor, name and full address of the guardian, if any,.....

10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste.....

11. Name of the place where the conversion ceremony has taken place with full details

House No. Ward No. Mohalla.....
Village..... District.....

12. Date of conversion.....

13. Religious priest:

- (i) Name, qualification and experience.....
(ii) Address

14. Names, addresses and other particulars (relationship with the person converted, if any) of at least two persons other than religious priest who had taken part in the conversion ceremony:

- (1).....
(2).....

VERIFICATION

I,..... do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief nothing has been concealed.

Signature.....

Witness: (1).....

Witness: (2).....

Date.....

Place.....

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Constitution of India guarantees religious freedom to all persons which reflects the social harmony and spirit of India. The objective of this right is to sustain the spirit of secularism in India. According to the Constitution, State has no religion and all religions are equal before the State, and no religion shall be given preference over the other. All persons are free to preach, practice and propagate any religion of their choice.

The Constitution confers on each individual the fundamental right to profess, practice and propagate his religion. However, the individual right to freedom of conscience and religion cannot be extended to construe a collective right to proselytize; the right to religious freedom belongs equally to the person converting and the individual sought to be converted.

However, in the recent past many such examples have come to light where gullible persons have been converted from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurements or by fraudulent means. The law related to right to religious freedom already exists in various States of the country but there was no statute on the said subject in Uttar Pradesh.

In view of the above, it was decided to enact a law to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurements or fraudulent means, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 21 of 2020) was promulgated by the Governor on November 27, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 778 राजपत्र-2021-(1652)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 259 सा० विधायी-2021-(1653)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2024

श्रावण 15, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 339 / 79-वि-1-2024-1-क-19-2024

लखनऊ, 6 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 6 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: -

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 3 सन्
2021 की धारा 4
का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, में), धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

"4-अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी सूचना देने के रीति वही होगी जैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के अध्याय 13 में दी गयी हैं।"

धारा 5 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात:-

"5 (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जायेगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा;

(2) जो कोई विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो चौदह वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा।

(3) जो कोई धर्म संपरिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह या विवाह करने का वचन देता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है या षडयंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिक, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है या अन्यथा उन्हें विक्रीत करता है या इस निमित्त दुष्प्रेरण, प्रयास अथवा षडयंत्र करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

(4) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(5) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्धदोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन तदनिमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा।"

4-मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, धारा 7 का संशोधन
अर्थात:-

“7 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि,-

(क) लोक अभियोजक को, ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु अवसर न प्रदान कर दिया जाय; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है वहाँ सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य नहीं है।”

उद्देश्य एवं कारण

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता, महिलाओं की गरिमा एवं सामाजिक स्थिति तथा अविधिक धर्म संपरिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों और संगठनों की संगठित और योजनाबद्ध क्रिया-कलापों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुभव किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में उपबन्धित जुर्माने और दंड की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए और जमानत की शर्तों को अधिक से अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिए। जैसा कि अधिनियम के विद्यमान दण्ड विषयक उपबन्ध अवयस्क, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धर्मांतरण एवं सामूहिक धर्मान्तरण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि, उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 4 के निवर्तक के संबंध में विभिन्न मामलों में अतीत में उत्पन्न हुई कतिपय कठिनाइयों का समाधान करना भी आवश्यक हो गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

Dated Lucknow, August 6, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhi Viruddh Dharm Samparivartan Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 6, 2024. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF
RELIGION (AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act no. 7 of 2024)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent
and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the *Gazette*.

Amendment of
section 4 of U.P.
Act no. 3 of 2021

2. In the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021, (hereinafter referred to as the "principal Act"), for section 4, the following section shall be *substituted*, namely:-

"4. An information relating to the contravention of the provisions of the Act may be given by any person and the manner of giving such information shall be the same as given in Chapter XIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)."

Amendment of
section 5

3. *For* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"5(1) Whoever contravenes the provisions of section 3, shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than fifty thousand rupees:

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a disabled or mentally challenged person, a woman or a person belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees:

Provided further that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion of religion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees.

(2) Whoever receives money from any foreign or illegal institutions in connection with unlawful religious conversion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees.

(3) Whoever, with the intent to convert, puts any person in fear of his life or property, assaults or uses force or marries or promises to marry or induces or conspires for the same, or traffics a minor, a woman or a person by enticing them or otherwise selling them, or abets, attempts or conspires in this behalf, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

(4) The Court shall also approve appropriate compensation payable by the accused to the victim of the said conversion, which may extend to five lakh rupees, in addition to the fine.

(5) Whoever, having previously been convicted of an offence under this Act, is again convicted of an offence punishable under this Act, shall, for every such subsequent offence, be liable to a punishment not exceeding twice the punishment provided in that behalf under this Act."

4. For section 7 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

Amendment of section 7

"7 (1) Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and triable by the Court of Sessions.

(2) No person accused of any offence punishable under this Act, if in custody, shall be released on bail, unless,—

(a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application for such release; and

(b) where the Public Prosecutor opposes the bail application, the Court of Sessions is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Keeping in view the sensitivity and gravity of the crime of unlawful religious conversion, the dignity and social status of women and the organised and planned activities of foreign and anti-national elements and organisations in illegal religious conversion and change in demography, it has been felt that the amount of fines and punishments provided in the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021 should be increased and conditions of bail should be made more stringent. As the existing penal provisions of the Act are not sufficient to curb and control the conversion and mass conversion in respect of a minor, disabled, mentally challenged person, woman or a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and apart from this as it has also become necessary to resolve certain difficulties that have arisen in the past in various cases regarding the interpretation of section 4 of the Act, it has been decided to amend the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 185 राजपत्र-2024-(532)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 75 सा० विधायी-2024-(533)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।